आपूर्तिकर्ताओं के लिये सामाजिक मनोरथ उपक्रम (आईसीएस) आचार-संहिता

सामाजिक मनोरथ उपक्रम का प्रत्येक सदस्य – see www.ics-asso.org for the list of members- आपूर्तिकर्ताओं से यह अपेक्षा करता है कि वे आपूर्तिकर्ताओं के लिये सामाजिक मनोरथ उपक्रम (आईसीएस) आचार-संहिता का पालन करेंगे, यह समझते हुए कि यह आचार-संहिता फुटकर विक्रेताओं की अपनी आचार-संहिता की पूरक बन सकती है। आईसीएस के प्रावधान, मानवाधिकारों के मुख्य मूलभूत समझौतों और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन/आईएलओ (दस्तावेज के अंत में तालिका को देंखे) की अनुशंसाओं के रूप में प्रतिष्ठापित हैं। इस आचार-संहिता पर हस्ताक्षर करके, आपूर्तिकर्ता उसका पालन करने तथा अपने उप-ठेकेदारों एवं साझीदारों को भी ऐसा ही करने के लिए प्रतिबद्ध है।

प्रबंधन, पारदर्शिता एवं नज़र रखने की क्षमता (ट्रेकेबिलिटी) की प्रणाली

1. आपूर्तिकर्ता एक प्रभावोत्पादक आतंरिक प्रबंधन प्रणाली को स्थापित करेगा :
   अ. ताकि रोजगार के बारे में सभी संबंध, भर्ती से रोजगार-अनुबंध की समाप्ति तक स्वीकृत और लिपिबद्ध (श्रम के मामलों में देश के कानूनों अथवा व्यवहारों और अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुरूप) हों ; विशेषतः यदि वह विशेष स्थिति वाले श्रमिकों के बारे में हो : युवा श्रमिक, अप्रवासी श्रमिक, देश के ही अप्रवासी श्रमिक, सामयिक श्रमिक, घरेलू श्रमिक, ठेके पर कार्यरत श्रमिक, प्रशिक्षार्थी या प्रशिक्षु, अनुबंधित श्रमिक, अस्थायी श्रमिक, इत्यादि ;
   ब. ताकि समस्त व्यापारिक गतिविधियाँ अथवा कंपनी का प्रबंधन पारदर्शी ढंग से तथा कंपनी रजिस्टर में सही ढंग से लिखा जाए ;
   स. ताकि इस आचार-संहिता में घोषित नियमों का उसके संगठन में समरूपता से संचारण और पालन सुनिश्चित किया जाए ;
   द. ताकि इस आचार-संहिता के नियमों के विरुध्द किसी भी कार्य को जान सकने के लिए, चिन्हित कमियों के मूल कारणों को समझा जाये तथा उसका प्रभावपूर्ण ढंग से कानून का पालन करते हुए, देश में उपयोग एवं व्यवहारों और अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के अनुसार गतिविधियों के क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जाये ;
   ई. ताकि इस आचार-संहिता को लागू करने लिए अथवा श्रम कानूनों के विषय में कानूनी पहलुओं के बारे में उन उत्तरदायी व्यक्तियों को सूचित और प्रशिक्षित किया जाए, जो सुरक्षा या पर्यावरण के लिए इससे ज्यादा व्यापक रूप से जुड़े हुए हों ;
   फ. ताकि किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार, जबरन वसूली या गबन एवं घूसखोरी के विरुद्ध कार्रवाई की जा सके ;
   ग. ताकि साझेदार के क्रिया-कलापों से जुड़े हुए प्रभावों का विश्लेषण, आसपास के समुदाय, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण पर सामान्यतः पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों को रोकने एवं न्यूनतम करने के लिए ज़रूरी प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन के लिए किया जा सके ;

2. आपूर्तिकर्ता उसकी पूरी आपूर्ति श्रृंखला और उप-ठेकेदारों में आपूर्तिकर्ताओं के लिये आचार-संहिता के नियमों को प्रसारित करने को प्रतिबद्ध है:

अ. आपूर्तिकर्ता को सामाजिक मनोरथ उपक्रम (आईसीएस) आदेशकर्ता को घोषित करना चाहिए, एवं ऐसे आदेशकर्ता द्वारा कोई भी आदेश, आपूर्तिकर्ता और उप-ठेकेदारों (आपूर्तिकर्ता द्वारा प्राधिकृत कंपनियों, जो उसके द्वारा उत्पादित माने गए अंतिम उत्पादन की पूर्णतः या आंशिक रूप से जिम्मेदारी लेने को तैयार हों) की फैक्ट्री/यों की सूची देने के पहले करना चाहिए। सामाजिक मनोरथ उपक्रम (आईसीएस) आदेशकर्ता अस्वीकार करते हैं कि उनके आदेश, इस आपूर्तिकर्ताओं के लिये आचार-संहिता का पालन नहीं करने वाली किसी फैक्ट्री में उत्पादित किये जाएं। यदि सामाजिक मनोरथ उपक्रम (आईसीएस) आदेशकर्ता ने कोई आदेश दे दिया है, तो आपूर्तिकर्ता पूर्वघोषित फैक्ट्री/यों और उप-ठेकेदारों की सूची को बदलने के लिए प्राधिकृत नहीं है। किसी भी कारण से आपूर्तिकर्ता और उसके उप-ठेकेदारों की फैक्ट्रीयों की सूची में बदलाव ज़रूरी होने पर, सामाजिक मनोरथ उपक्रम (आईसीएस) आदेशकर्ता की लिखित सहमति ली जानी चाहिए।

ब. आपूर्तिकर्ता को सत्यापित करना चाहिए कि सामाजिक मनोरथ उपक्रम (आईसीएस) आदेशकर्ता की उत्पादन श्रृंखला में चिन्हित फैक्ट्रीयां या उप-ठेकेदार, इस आपूर्तिकर्ताओं के लिये आचार-संहिता के नियमों का पालन कर रहे हैं।

स. यदि आपूर्तिकर्ता को उसके आपूर्ति श्रृंखला और उप-ठेकेदारी द्वारा इस आचार-संहिता के नियमों के उल्लंघनों की जानकारी हैं, तो उसे सामाजिक मनोरथ उपक्रम (आईसीएस) आदेशकर्ता को अविलंब इसकी सूचना देना चाहिए और संबद्ध आपूर्तिकर्ता/उप-ठेकेदार के लिए एक सुधारात्मक कार्य-योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए। आपूर्तिकर्ता/उप-ठेकेदार द्वारा अस्वीकृत करने पर, आपूर्तिकर्ता इस आपूर्तिकर्ता/उप-ठेकेदार से सहयोग को समाप्त करने को प्रतिबद्ध है।

बाल-श्रम

1. आपूर्तिकर्ता निम्नलिखित का उत्तरदायित्व लेते हैं :

अ. सभी प्रकार की नियुक्ति या राष्ट्रीय क़ानून के द्वारा तय कार्यों के लिए न्यूनतम आयु का पालन करना और शिक्षा प्रणाली को छोड़ने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को, और किसी भी परिस्थिति में, 15 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को काम पर नहीं लगाने का ;

ब. हालांकि, यदि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के समझौता क्रमांक 138 के अनुसार विकासशील देशों में छूटों के अंतर्गत काम के लिए कानूनी न्यूनतम आयु सीमा स्थानीय रूप में 14 वर्ष तय है, तो वह लागू होगी।

2. आपूर्तिकर्ता किसी भी बच्चे को, किसी भी रूप में ना तो काम पर लगाएंगे ना ही उनका शोषण करेंगे। यदि उत्पादन स्थल पर (अनौपचारिक पालनाघर/शिशु-सदन के अलावा) बच्चों की उपस्थिति का पता लगा, तो आपूर्तिकर्ता हमेशा बाल-कल्याण के लिए एक तर्कसम्मत और संतोषजनक उपाय खोजेगा।

3. आपूर्तिकर्ता किसी भी 18 वर्ष से कम आयु वाले युवा श्रमिक को रात्रि-पाली में अथवा उसके स्वास्थ्य, सुरक्षा या नैतिक सत्यनिष्ठा खतरनाक हो सकने वाली और/अथवा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के समझौता क्रमांक 182 के अनुसार उसके शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक या सामाजिक विकास के लिए हानिकारक हो सकने वाली परिस्थितियों में काम पर नहीं रखेंगे।

जबरन मजदूरी

1. सारा काम स्वैच्छिक रूप से किया जायेगा, ना कि दंड की धमकी के दम पर या किसी भी सज़ा के तौर पर।
2. किसी भी प्रकार की अनिवार्य या अवैतनिक बंधुआ मजदूरी, जिसमें कैद में श्रम का समावेश है, समझौता क्रमांक 29 के द्वारा उपलब्ध तरीके के अलावा तथा अवैतनिक अतिरिक्त कार्य का का सहारा लेना भी वर्जित है।
3. आपूर्तिकर्ता श्रमिकों को अतर्कसंगत धनराशी का आर्थिक ऋणपत्र/जमानत जमा करना ज़रूरी नहीं बनायेंगे और कोई भी दस्तावेज (पासपोर्ट, पहचान पत्र) ज़ब्त नहीं करेंगे। वेतन के भुगतान में अनुचित तरीके से देरी नहीं की जाएगी।
4. बंधुआ-मजदूरी प्रतिबंधित है। आपूर्तिकर्ता ना तो किसी भी प्रकार की बंधुआ मजदूरी का सहारा लेंगे, ना ही उसकी अनुमति देंगे या श्रमिकों को, भर्ती की फ़ीस या अन्य तरीकों के द्वारा उधारी लेने को बढ़ावा नहीं देंगे।
5. किसी भी ऐसे "अनुबंध जो रद्ध नहीं किया जा सकता है" के अंतर्गत कार्य कराना प्रतिबंधित है। आपूर्तिकर्ता, श्रमिकों को उनके अनुबंधों को एक वैधानिक अवधि के बाद निरस्त करने और नौकरी के बाद अपने कार्य-स्थल तथा फैक्ट्री को छोड़ने से संबंधित कानून का पालन करेंगे।

भेदभाव

1. आपूर्तिकर्ता भर्ती, वेतन, प्रशिक्षण-प्राप्ति, पदोन्नति, सेवा-समाप्ति और सेवा-निवृत्ती के विषय में निष्पक्षता के सिद्धांतों का पालन करेंगे।
2. आपूर्तिकर्ता भर्ती, रोजगार, प्रशिक्षण, काम की परिस्थितियों, आबंटन, वेतन,सुविधाएं, पदोन्नतियां, अनुशासन, सेवा-समाप्ति और सेवा-निवृत्ती के विषय में लिंग, आयु, धर्म, पारिवारिक स्थिति, वंश, जाति, सामाजिक परिस्थिति, बीमारी, विकलांगता, गर्भावस्था, राष्ट्रीय या नस्ली मूल, राष्ट्रीयता, किसी श्रमिकों के संगठन (श्रमिक संघ सहित) की सदस्यता, राजनीतिक संबंध, लैंगिक पसंद या कोई अन्य व्यक्तिगत विशिष्टता पर आधारित भेदभाव में न तो शामिल होंगे, ना प्रोत्साहित करेंगे और ना ही सहन करेंगे।
3. सभी व्यक्तियों के रोजगार के नियम एवं शर्तें उनकी योग्यताओं पर आधारित होंगी, ना कि उनकी व्यक्तिगत विशिष्टताओं या आस्थाओं पर।

अनुशासनात्मक कार्यवाही, उत्पीड़न या दुर्व्यवहार

1. आपूर्तिकर्ता सभी श्रमिकों से आदर और गरिमा-पूर्वक व्यवहार करेंगे।
2. आपूर्तिकर्ता ना तो किसी भी प्रकार के नैतिक या शारीरिक उत्पीड़न अथवा दुर्व्यवहार में शामिल होंगे या ना ही उसको सहन करेंगे।
3. आपूर्तिकर्ता अनुशासनात्मक कार्यवाहियों का लिखित में वर्णन करेंगे, जिनके बारे में श्रमिकों को स्पष्ट रूप में समझाया जाएगा। सभी अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को लिपिबद्ध किया जाएगा ।

साहचर्य की स्वतंत्रता और शिकायत-प्रणाली

1. श्रमिकों को अपना श्रमिक संघ बनाने या अपनी पसंद से उससे जुड़े रहने और अपने प्रबंधन से पहले से अनुमति लिए बिना भी सामूहिक रूप से मोल-तोल करने का अधिकार होगा। आपूर्तिकर्ता उनकी विधि-सम्मत गतिविधियों में अड़चन नहीं डालेंगे, ना रोकेंगे या ना हस्तक्षेप करेंगे ।
2. यदि क़ानून, साहचर्य की स्वतंत्रता और सामूहिक मोल-तोल को प्रतिबंधित या निषिद्ध करता है, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन/आईएलओ समझौतों के अनुसार, आपूर्तिकर्ता किसी भी अन्य प्रकार के खुले एवं निष्पक्ष प्रतिनिधित्व और मोल-तोल का विरोध नहीं करेंगे।
3. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन/आईएलओ के समझौतों के अनुसार, आपूर्तिकर्ता, श्रमिकों के प्रतिनिधियों या श्रमिक संघ के सदस्यों के विरुद्ध, उनकी श्रमिक संघ से सम्बद्धता या ताल्लुक होने से या उनकी विधि-सम्मत श्रमिक संघ की गतिविधियों के कारण, किसी भी प्रकार का भेदभाव करने या सज़ा देने से परहेज करेंगे।
4. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन/आईएलओ समझौतों के अनुसार, आपूर्तिकर्ता, कंपनी के श्रमिकों के प्रतिनिधियों को उनके प्रतिनिधित्व के कार्य के लिए कार्यस्थल पर जाने की अनुमति देंगे।
5. जहाँ तक संभव हो, आपूर्तिकर्ता को प्रतिपुष्टि/फीडबैक तथा परिचालन-स्तर पर प्रभावी ढंग से शिकायत की व्यवस्था को प्रोत्साहन देना या उसमें सम्मिलित होना चाहिए, ताकि वे व्यक्तियों और समुदायों को उत्तर दे सकें।

काम के घंटे

1. आपूर्तिकर्ता राष्ट्रीय क़ानून और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन/आईएलओ के समझौतों के अनुसार, उनको हमेशा लागू करते हुए ऐसे काम के घंटों को तय करेंगे, जो श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के लिए अधिकतम संरक्षण प्रदान करें।
2. आपूर्तिकर्ता आदर्श 48 घंटों के साप्ताहिक काम के घंटों का पालन करेंगे, अतिरिक्त समय/ओवरटाइम भत्ते के अलावा। वे श्रमिकों से हमेशा 48 घंटे प्रति-सप्ताह से ज्यादा कार्य करने की अपेक्षा नहीं करेंगे।
3. अतिरिक्त समय/ओवरटाइम के घंटे स्वेच्छापूर्वक किये जाएंगे, जो 8 (आठ) घंटे प्रति-सप्ताह से ज्यादा नहीं होंगे और जिनकी कोई नियमित आवृत्ती नहीं होगी।

4. आपूर्तिकर्ता, प्रति 7 (सात) दिवसों में कम से कम एक विश्राम दिवस के साथ-साथ प्रतिवर्ष सवैतनिक छुट्टिओं एवं स्थानीय क़ानून के अंतर्गत उपलब्द्ध स्थानीय और राष्ट्रीय अवकाशों के सभी श्रमिकों के अधिकारों का पालन करेंगे।

वेतन और सुविधाएं

1. आपूर्तिकर्ता अपने कर्मचारियों को वैधानिक न्यूनतम के बराबर या ज्यादा और/अथवा उद्योग के मानकों के अनुरूप और/अथवा सामूहिक समझौतों के द्वारा प्रदान (लागू अधिकतम राशी) वेतन, अतिरिक्त समय/ओवरटाइम-भत्ता, सुविधाएं एवं सवैतनिक छुट्टियों का भुगतान करेंगे।
2. उनके अधीन श्रमिकों और व्यक्तियों के पारिश्रमिक के निर्णायक महत्त्व से अवगत रहते हुए, सामाजिक मनोरथ उपक्रम (आईसीएस) अपने आपूर्तिकर्ताओं से यह अपेक्षा करता है, कि वे वैधानिक न्यूनतम वेतन को अपने आप में एक अंत नहीं बल्कि केवल एक सीमा के रूप में, उतने तक ही नहीं बल्कि उससे भी ज्यादा मानेंगे, जिसका अंतिम उद्देश्य है कि यह पारिश्रमिक कर-मुक्त आय को सुनिश्चित करते हुए श्रमिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यथेष्ट हों।
3. आपूर्तिकर्ता सभी श्रमिकों के लिए अतिरिक्त समय/ओवरटाइम-भत्तों के लिए बड़ी हुई दर लागू करेंगे, जैसा क़ानून और यदि उपयुक्त हो तो समझौतों के अंतर्गत उपलब्ध है।
4. आपूर्तिकर्ता सभी श्रमिकों के लिए कानून के अंतर्गत उपलब्ध सभी सुविधाओं, जिनमें सवैतनिक छुट्टियों का समावेश है, के लिए उत्तरदायी हैं।
5. आपूर्तिकर्ता वेतन से कोई भी अनधिकृत या राष्ट्रीय क़ानून में अनुपलब्ध कटौती नहीं करेंगे। वे कोई भी वेतन कटौती अनुशासनात्मक कार्रवाई के रूप में नहीं करेंगे।
6. आपूर्तिकर्ता सभी श्रमिकों को लिखित रूप में उनके काम शुरू करने से पहले ही वेतन के साथ-साथ उनके रोजगार की परिस्थितियों, जिनमें वेतन का समावेश है, के बारे में स्पष्ट जानकारी देंगे।
7. काम एक मान्यता-प्राप्त, राष्ट्रीय कानून के अनुसार स्थापित और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन/आईएलओ के समझौतों (जिनकी विषय-वस्तु अधिकतम लागू संरक्षण प्रदान करती है) के अनुसार किया जाएगा।
8. श्रम-शक्ति, कार्यों या सेवाओं की उप-ठेकेदारी, या घरेलू-काम से संबंधित व्यवस्थाएं, प्रशिक्षुता के कार्यक्रम यदि कौशलों को सिखाने अथवा कोई भी रोजगार देने की वास्तविक नीयत नहीं हो, अल्पावधि अनुबंध का अत्यधिक सहारा लेना, या कोई अन्य ऐसी ही व्यवस्था का उपयोग, श्रम कानून या सामाजिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत उपलब्ध और नियमित रोजगार-संबंध के परिणामस्वरूप होने वाले नियोक्ता के दायित्वों से बचने के उद्देश्य से नहीं किया जाएगा।

स्वास्थ्य और सुरक्षा

निम्नलिखित प्रावधान विशेषतः परिभाषित किये जाएंगे ताकि रोजगार की परिस्थितियों और विभिन्न उद्योगों से जुड़े खतरों पर स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के विषय में लागू सिद्धांतों के अनुसार विचार किया जा सके :

1. आपूर्तिकर्ता सभी कार्यस्थलों और निवासस्थलों को सुरक्षित एवं स्वास्थ्यकर बनाने को सुनिश्चित करेंगे; वे स्पष्ट प्रक्रियाओं को परिभाषित एवं कार्यान्वयित करेंगे ताकि कार्यस्थल पर स्वास्थ्य और सुरक्षा को व्यवस्थित किया जा सके।
2. आपूर्तिकर्ता दुर्घटनाओं और व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित या उसके दौरान होने वाली स्वास्थ्य को हानियों को रोकने के लिए, उनमें कार्य के वातावरण के लिए अन्तर्निहित खतरों के कारणों को यथासंभव सीमित करने के लिए समुचित कदम उठाएंगे। यदि आवश्यक हो तो वे श्रमिकों को समुचित व्यक्तिगत सुरक्षा के उपकरण उपलब्ध कराएंगे।
3. आपूर्तिकर्ता उपयुक्त चिकित्सीय सुविधाएं और सहायता उपलब्ध कराएंगे।
4. आपूर्तिकर्ता श्रमिकों की उत्तम स्वच्छता के साथ-साथ ही पीने योग्य जल और यदि आवश्यक हो तो भोजन तैयार करने एवं खाद्य पदार्थों के भंडारण हेतु स्वच्छ उपकरणों की उपलब्धता को सुनिश्चित करेंगे।
5. अंततः आपूर्तिकर्ता श्रमिकों को उपलब्ध कराये गए निवासस्थलों को सुरक्षित एवं स्वास्थ्यकर बनाने को सुनिश्चित करेंगे ;
6. आपूर्तिकर्ता प्रबंधन के सदस्यों में से एक व्यक्ति को स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नामित करेंगे।
7. आपूर्तिकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी श्रमिक और प्रबंधन के सदस्य स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के बारे में लगातार प्रशिक्षण प्राप्त करते रहे ; इस प्रशिक्षण को समस्त नव-नियुक्त या पुनः आबंटित कर्मचारियों और प्रबंधन के सदस्यों के लिए दोहराना होगा।
8. आपूर्तिकर्ता अग्निशमन के उद्देश्य से समुचित कदम उठाएंगे और भवनों एवं उपकरणों, यदि आवश्यक हो तो निवासस्थलों की मजबूती, स्थायित्व एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे।
9. आपूर्तिकर्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी श्रमिक और प्रबंधन के सदस्य निम्नलिखित विषयों के बारे में पर्याप्त प्रशिक्षण प्राप्त करें: कूड़े का निपटान, रासायनिक पदार्थों एवं अन्य खतरनाक सामानों को छूना और निपटाना।

परिशिष्ट

Suppliers are required to comply with:
- OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 2011
- UN Guiding principles on business and human rights, 2011

- आपूर्तिकर्ताओं को इनका पालन करना चाहिए:

i. मौलिक मानवाधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय समझौते:
  - नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से संबंधित वर्ष 1966 का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र
  - आर्थिक, सामजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से संबंधित वर्ष 1966 का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र
  - महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को दूर करने से संबंधित वर्ष 1980 का समझौता
  - बच्चों के अधिकारों पर वर्ष 1990 का समझौता
  - विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित वर्ष 2007 का समझौता

ii. श्रम पर मौलिक सिद्धांतों और अधिकारों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन/आईएलओ की घोषणा के द्वारा परिभाषित अंतर्राष्ट्रीय श्रम के मौलिक मापदंड और उनकी निरंतरता:
  - साहचर्य की स्वतंत्रता और श्रमिक संघ बनाने के अधिकार के संरक्षण पर वर्ष 1948 का समझौता क्रमांक 87
  - श्रमिकों का संगठन बनाने तथा सामूहिक मोल-तोल के अधिकार पर वर्ष 1949 का समझौता क्रमांक 98
  - जबरन मजदूरी पर वर्ष 1930 का समझौता क्रमांक 29
  - बंधुआ-मजदूरी के उन्मूलन पर वर्ष 1957 का समझौता क्रमांक 105
  - न्यूनतम आयु पर वर्ष 1973 का समझौता क्रमांक 138
  - बालश्रम के निकृष्टतम प्रकारों पर वर्ष 1999 का समझौता क्रमांक 182
  - समान पारिश्रमिक पर वर्ष 1951 का समझौता क्रमांक 100
  - भेदभाव (रोजगार और व्यवसाय में) से संबंधित वर्ष 1958 का समझौता क्रमांक 111

iii. अन्य प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय मापदंड, जैसे कि:
  - उपयुक्त कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन/आईएलओ की अपील
  - काम के घंटों (उद्योगों में) पर वर्ष 1919 का समझौता क्रमांक 1
  - साप्ताहिक विश्राम (उद्योगों में) पर वर्ष 1921 का समझौता क्रमांक 14
  - वेतन की सुरक्षा के लिए वर्ष 1949 का समझौता क्रमांक 95
  - न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए वर्ष 1970 का समझौता क्रमांक 131
  - श्रमिकों के प्रतिनिधियों से संबंधित वर्ष 1971 का समझौता क्रमांक 135

- श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वर्ष 1981 का समझौता क्रमांक 155
- काम पर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वर्ष 1985 का समझौता क्रमांक 161
- वेतन की सुरक्षा के लिए वर्ष 1949 की अनुशंसा क्रमांक 85
- काम के घंटों को घटाने पर वर्ष 1962 की अनुशंसा क्रमांक 116
- न्यूनतम मजदूरी तय करने के लिए वर्ष 1970 की अनुशंसा क्रमांक 135
- श्रमिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए वर्ष 1981 की अनुशंसा क्रमांक 164
- घरेलू-काम पर वर्ष 1996 की अनुशंसा क्रमांक 184
- बालश्रम के निकृष्टतम प्रकारों पर वर्ष 1999 की अनुशंसा क्रमांक 190

iv. लागू राष्ट्रीय एवं/अथवा स्थानीय कानून

- इस संदर्भ-संहिता के प्रावधान केवल न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, एवं ये अधिकतम आवश्यकताएं नहीं हैं।
- इस संदर्भ-संहिता को अंतर्राष्ट्रीय श्रम मापदंडों और/अथवा राष्ट्रीय और/अथवा स्थानीय कानूनों के द्वारा उपलब्ध परिस्थितियों से अधिक अनुकूल परिस्थितियों के क्रियान्वयन को रोकने करने के लिए नहीं किया जा सकता है।